रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 31, 1986/कार्तिक 9, 1908
No. 20] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 31, 1986/KARTIKA 9, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारतीय खाद्य निगम

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 1986

अधिसूचना

सं. 38/फा. सं. 39-2/82-ई.पी.—भारतीय खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम निम्नलिखित विनियम बनाकर भारतीय खाद्य निगम (मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान) विनियम 1967 में इस प्रकार संशोधन करता है:—

1. (1) ये विनियम भारतीय खाद्य निगम (मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान) (9वां संशोधन) विनियम, 1986 कहे जायेंगे।

(2) ये 31 मार्च, 1985 से प्रभावी माने जायेंगे।

2. भारतीय खाद्य निगम (मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान) विनियम, 1967 के विनियम 5 के उपविनियम (1) और (4) की वर्तमान व्यवस्था निम्न प्रकार से संशोधित पढ़ी जायेगी:—

"5(1) उपदान राशि प्रत्येक 6 माह को अवधि की अर्हक सेवा की परिलब्धियों की चौथाई राशि के बराबर होगी पर इससे अधिक नहीं सोलह परिलब्धियों की साढ़े सोलह गुना या रु. 50 हजार जो भी कम हो, होगी।

5(4) इस विनियम के आशय के लिए, "परिलब्धियों" को नौकरी छोड़ने से ठीक पहले को तिथि पर प्राप्त अंतिम वेतन, (जिस परिभाषा में विशेष वेतन, यदि कोई, मंहगाई वेतन, छुट्टी वेतन, गुजारा अनुदान, तथा अन्य कोई परिलब्धियां आते जिनको समय-समय पर उपदान के लिए गिना जाना घोषित किया गया है, शामिल हैं) तथा जिसकी अधिकतम सीमा चार हजार रुपये प्रति माह होगी, माना जाएगा।"

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय खाद्य निगम (मृत्यु तथा निवृत्ति उपदान) विनियम, 1967 लोक उद्यम विभाग वित्त मंत्रालय (बी.पी.ई.) भारत सरकार, की आदर्श उपदान योजनाओं पर आधारित है, जिसमें हाल में ही ज्ञापन संख्या 2(29)/75-बी.पी.ई. (डब्ल्यू सी.) दिनांक 18 मई, 1985 द्वारा उपदान की अधिकतम सीमा को 36000/-रुपये से 50,000/- रुपये तक तथा परिलब्धियों की सीमा को 2500/- रुपये प्रति माह से 4000 रुपये प्रति माह तक, सार्वजनिक उपक्रमों के उन कर्मचारियों के लिए, जो उपदान अधिनियम, 1972 की व्यवस्थाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा जो 31-3-85 या उसके बाद निवृत्त हों बढ़ा दी है।

2. इस अधिसूचना का पिछली तारीख से जारी होना किसी व्यक्ति के हित को, जिस पर ये विनियम लागू हों प्रभावित नहीं करता है।

3. यह खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45(1क) की व्यवस्थाओं के अंतर्गत जारी किया जाता है।

के. एस. भसीन, सचिव

THE FOOD CORPORATION OF INDIA

New Delhi, the 31st October, 1986

NOTIFICATION

No. 38|F. No. 39-2|82-EP.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations further to amend the Food Corporation of India (Death-cum-Retirement Gratuity) Regulations, 1967 :—

(i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Death-cum-Retirement Gratuity) (9th amendment) Regulations, 1986.

(ii) They shall be deemed to have come into force with effect from 31st March, 1985.

2. The existing Sub-Regulations (1) and (4) of Regulation 5 of the Food Corporation of India (Death-cum-Retirement Gratuity) Regulations, 1967 shall be amended to read as under .—

"5(1) The amount of gratuity shall be equal to 1|4th of emoluments for each completed six-monthly period of qualifying services subject to a maximum of 16½ times the emoluments or Rs. 50,000|- whichever is less.

5(4) "Emoluments" for the purposes of these Regulations shall mean the last pay drawn (which term includes special pay, dearness pay, if any, leave salary, subsistence grant and such other emoluments|allowances as may be declared to count for gratuity from time to time) immediately preceding the date of quitting service and shall be subject to a maximum of Rs. 4,000|- per month."

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Food Corporation of India (Death-cum-Retirement Gratuity) Regulations, 1967 are based on the model Gratuity Schemes of the Bureau of Public Enterprises, Ministry of Finance (B.P.E.), Government of India, who has recently increased the ceiling limit of the maximum amount of Gratuity from Rs. 36,000|- to Rs. 50,000|- and the ceiling on emoluments of Rs. 2,500|- per mensum has been raised to Rs. 4000|- per mensum vide O.M. No. 2(29)|75-BPE(WC) dated 18th May, 1985 in respect of Public Sector employees who are not covered by the provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972 and who retire on or after 31-3-1985.

2. The issue of this Notification with retrospective effect does not affect the interest of any person to whom these regulations may be applicable.

3. This issues under the provisions of Section 45 (1A) of the Food Corporations Act, 1964.

K. S. BHASIN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986